सरल होम फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में विश्वक्रिया हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
CIN: U74899DL2000PLC104956
नैशनल हाउसिंग बैंक द्वारा नियंत्रित
117, साउथ एक्स. प्लाजा–II, 209 मस्जिद मोठ, न्यू. दिल्ली–110049
फोन: 91 11 41004035/36

कब्जा सूचना

[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (1) के साथ पढ़े गई गये (परिशिष्ट IV)]

श्री विकास कुमार शुक्ला
श्री भागवत शुक्ला
हाउस न0 जी–139, सेक्टर –22, नोएडा, यू.पी–201301

चूंकि, सरल होम फाइनेंस लिमिटेड ("कम्पनी") के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 9 के साथ पठित अनुच्छेद 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 16.08.2016 को जारी सूचना जिसमें उल्लिखित राशि 31.07.2016 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक ब्याज तथा अन्य प्रभारों सहित रू. 11,91,646/– (रू. ग्यारह लाख इक्यानवे हजार छह सौ छियालीस मात्र) का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर पुनर्भुगतान करने के लिए श्री विकास कुमार शुक्ला और श्री भागवत शुक्ला (उधारकर्ताओं) निवासी हाउस न0 जी–139, सेक्टर –22, नोएडा, यूपी–201301 को एक सूचना जारी की है।

उधारकर्ताओं राशि का पुनर्भुगतान कर पाने में असफल रहा है, इसलिए उधारकर्ताओं और जनता को साधारणतः इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरित व्यक्ति ने कथित नियमों के नियम 9 के साथ पठित कथित अधिनियम के अनुच्छेद 13(4) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूत परिसम्पत्ति की प्राप्ति के लिए पट्टे, आबंटन या बिक्री के द्वारा स्थानांतरण के अधिकार सहित इसमें नीचे उल्लिखित ("सम्पत्ति") अचल सम्पत्ति का 09 मई 2017, को कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ताओं को विशेषतः और जनता को साधारणतः इसके द्वारा सम्पत्ति के साथ कोई सरोकार न रखने के लिए आगाह किया जाता है, और सम्पत्ति के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार 31.07.2016 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक ब्याज तथा अन्य प्रभारों सहित रू. 11,91,646/– की राशि के लिए सरल होम फाइनेंस लिमिटेड के अधिकार का विषय होगा।

सम्पत्ति का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है:

फ्लैट न0 बी–7, तीसरा फ्लोर, प्लॉट न0 239 खाता न0. 373, खसरा न0. 1149, हिंडन विहार, गांव बरोला, तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।

स्थानः नई दिल्ली हस्ता/–
तिथिः 09.05.2017 प्राधिकृत अधिकारी
सरल होम फाइनेंस लिमिटेड

सरल होम फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में विश्वक्रिया हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
CIN: U74899DL2000PLC104956
नैशनल हाउसिंग बैंक द्वारा नियंत्रित
117, साउथ एक्स. प्लाजा–II, 209 मस्जिद मोठ, न्यू. दिल्ली–110049
फोन: 91 11 41004035/36

कब्जा सूचना

[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (1) के साथ पढ़े गई गये (परिशिष्ट IV)]

श्री रघवेन्द्र कुमार
श्रीमती रेनु
हाउस न0 बी–37, बुद्ध विहार, ताजपुर पहाड़ी, बदरपुर, नई दिल्ली –110044

चूंकि, सरल होम फाइनेंस लिमिटेड ("कम्पनी") के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 9 के साथ पठित अनुच्छेद 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 16.08.2016 को जारी सूचना जिसमें उल्लिखित राशि 31.07.2016 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक ब्याज तथा अन्य प्रभारों सहित रू. 7,30,733/– (रू. सात लाख तीस हजार सात सौ तैंतीस मात्र) का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर पुनर्भुगतान करने के लिए श्री रघवेन्द्र कुमार और श्रीमती रेनु (उधारकर्ताओं) निवासी हाउस न0 बी–37, बुद्ध विहार, ताजपुर पहाड़ी, बदरपुर, नई दिल्ली –110044 को एक सूचना जारी की है।

उधारकर्ताओं राशि का पुनर्भुगतान कर पाने में असफल रहा है, इसलिए उधारकर्ताओं और जनता को साधारणतः इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरित व्यक्ति ने कथित नियमों के नियम 9 के साथ पठित कथित अधिनियम के अनुच्छेद 13(4) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूत परिसम्पत्ति की प्राप्ति के लिए पट्टे, आबंटन या बिक्री के द्वारा स्थानांतरण के अधिकार सहित इसमें नीचे उल्लिखित ("सम्पत्ति") अचल सम्पत्ति का 09 मई 2017, को कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ताओं को विशेषतः और जनता को साधारणतः इसके द्वारा सम्पत्ति के साथ कोई सरोकार न रखने के लिए आगाह किया जाता है, और सम्पत्ति के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार 31.07.2016 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक ब्याज तथा अन्य प्रभारों सहित रू. 7,30,733/– की राशि के लिए सरल होम फाइनेंस लिमिटेड के अधिकार का विषय होगा।

सम्पत्ति का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है:

फ्लैट न0. एफएफ–3 (फर्स्ट फ्लोर) बेक साइड, एलआईजी, प्लॉट न0 सी–9/9, डीएलएफ अकुर विहार, हदबस्त विलेज सदुल्लाह, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

स्थानः नई दिल्ली हस्ता/–
तिथिः 09.05.2017 प्राधिकृत अधिकारी
सरल होम फाइनेंस लिमिटेड

सरल होम फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में विश्वक्रिया हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
CIN: U74899DL2000PLC104956
नैशनल हाउसिंग बैंक द्वारा नियंत्रित
117, साउथ एक्स. प्लाजा–II, 209 मस्जिद मोठ, न्यू. दिल्ली–110049
फोन: 91 11 41004035/36

कब्जा सूचना

[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (1) के साथ पढ़े गई गये (परिशिष्ट IV)]

श्री नीरज कुमार
श्रीमती सीमा कुमारी
हाउस न0 केए–12, कारपुरी पुरम, गोविंदपुरम, गाजियाबाद, यू.पी–201002

चूंकि, सरल होम फाइनेंस लिमिटेड ("कम्पनी") के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 9 के साथ पठित अनुच्छेद 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 16.08.2016 को जारी सूचना जिसमें उल्लिखित राशि 31.07.2016 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक ब्याज तथा अन्य प्रभारों सहित रू. 9,61,121/– (रू. नौ लाख इकसठ हजार एक सौ इक्कीस मात्र) का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर पुनर्भुगतान करने के लिए श्री नीरज

सरल होम फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में विश्वक्रिया हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
CIN: U74899DL2000PLC104956
नैशनल हाउसिंग बैंक द्वारा नियंत्रित
117, साउथ एक्स. प्लाजा–II, 209 मस्जिद मोठ, न्यू. दिल्ली–110049
फोन: 91 11 41004035/36

कब्जा सूचना

[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (1) के साथ पढ़े गई गये (परिशिष्ट IV)]

श्री रामा रानी
श्रीमती आतिश नंदा
हाउस न0 14–बी, न्यू वार्ड न0 8, न्यू सरल नगर, पानीपत, हरियाणा–132103

चूंकि, सरल होम फाइनेंस लिमिटेड ("कम्पनी") के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 9 के साथ पठित अनुच्छेद 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 16.08.2016 को जारी सूचना जिसमें उल्लिखित राशि 31.07.2016 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक ब्याज तथा अन्य प्रभारों सहित रू. 7,04,845/– (रू. सात लाख चार हजार आठ

सम्माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण
प्रधान पीठ नई दिल्ली में
कम्पनी मूल न्यायक्षेत्र
कम्पनी याचिका सं. 878 वर्ष 2016
(कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 101–104 के अधीन)

के विषय में :
यूरो एशिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर 3–ए, प्रथम तल, बीएलके–एक्स लोहा मंडी, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली दक्षिण पश्चिम दिल्ली – 110028, भारत में स्थित है।

.....याचिकादाता कम्पनी

सुनवाई की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि यूरो एशिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (याचिकादाता कम्पनी) की शेयर पूंजी घटाने की स्कीम की मंजूरी के लिए याचिकादाता कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 100–104 (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 के संगत प्रावधान) के अधीन प्रस्तुत याचिका की सुनवाई सम्माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ नई दिल्ली द्वारा 3 मई, 2017 को की गई थी तथा उक्त याचिका की आगे सुनवाई राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ नई दिल्ली ("एनसीएलटी") द्वारा 12 जुलाई, 2017 को की जानी निर्धारित की गई है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त याचिका के विरोध का इच्छुक है, अपने आशय की सूचना, जो उसके अपने स्वयं अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो, याचिकादाता कम्पनी अथवा याचिकादाता कम्पनी के अधिवक्ता को भेज सकता है, जो याचिकादाता कम्पनी अथवा याचिकादाता के अधिवक्ता को याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से कम से कम 5 (पांच) कार्यदिवस पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिए। यदि वह याचिका का विरोध करने का इच्छुक है तो विरोध के आधार और एक शपथपत्र ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। याचिका की प्रति प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को यह प्रति अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध कराई जाएगी।

हस्ता./–
(आशुतोष गुप्ता)
याचिकादाता हेतु अधिवक्ता
कार्पोरेट प्रोफेशनल्स
एडवाइजर्स ऐण्ड एडवोकेट्स
डी–28, साउथ एक्स. पार्ट–1, नई दिल्ली–110049

स्थान : दिल्ली
तिथि : 12–05–2017

SORIL
HOLDINGS AND VENTURES

सोरिल होल्डिंग्स एन्ड वेनचर्स लिमिटेड

(विगत रूप से इंडियाबुल्स होलसेल सर्विसेज़ लिमिटेड)
(CIN: L51101DL2007PLC166209)
पंजीकृत कार्यालय : एम-62 एवं 63, पहली मंज़िल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001
फोन: 011-30252900 फैक्स: 011-30252901 ई-मेल: helpdesk@indiabulls.com
वेबसाईट: www.indiabulls.com/wholesale

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसार एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मार्च 31, 2017 को समाप्त हुई तिमाही एवं वित्तिय वर्ष के लिए, **सोरिल होल्डिंग्स एन्ड वेनचर्स लिमिटेड** (विगत रूप से इंडियाबुल्स होलसेल सर्विसेज़ लिमिटेड) (कंपनी) के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और स्वीकृति हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, मई 26, 2017 को आयोजित की जाएगी ।

कृपया अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाईट (www.indiabulls.com/wholesale) या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) या बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) पर संम्पर्क करें।

कृते सोरिल होल्डिंग्स एन्ड वेनचर्स लिमिटेड
(विगत रूप से इंडियाबुल्स होलसेल सर्विसेज़ लिमिटेड)
सही/-
प्रिया जैन
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 15, 2017

SORIL
INFRA RESOURCES

सोरिल इन्फ्रा रिसोर्सेस लिमिटेड

(विगत रूप से स्टोर वन रिटेल इंडिया लिमिटेड)
(CIN: L52190DL2005PLC181536)
पंजीकृत कार्यालय : एम-62 एवं 63, पहली मंज़िल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001
फोन: 011-30252900 फैक्स: 011-30252901 ई-मेल: helpdesk@indiabulls.com
वेबसाईट: www.sorilinfraresources.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसार एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मार्च 31, 2017 को समाप्त हुई तिमाही एवं वित्तिय वर्ष के लिए, **सोरिल इन्फ्रा रिसोर्सेस लिमिटेड** (कंपनी) के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और स्वीकृति हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, मई 26, 2017 को आयोजित की जाएगी ।

कृपया अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाईट (www.sorilinfraresources.com) या